

विदेशी मुद्रा अधिकार पत्र - कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

विदेशी मुद्रा अधिकार पत्र का उद्देश्य

यह अधिकार पत्र बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न विदेशी मुद्रा विनियम सेवाओं से ग्राहकों को अवगत करता है। RBI और FEMA 1999 द्वारा निर्धारित सभी नियम और शर्तों का बैंक पालन करता है।

उद्देश्य:

- हमारी विदेशी मुद्रा सेवाओं की समझ के लिये पारदर्शिता के साथ प्रभावी और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करना।
- पारदर्शिता से बैंक के साथ विदेशी मुद्रा के लेन-देन के बारे में सभी जानकारी प्रदान करना।
- ग्राहक के अनुकूल भाषा में नियमों तथा विनियमों का विकास और प्रसार करना।
- विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में ग्राहकों के विश्वास को बढ़ावा देना।
- विदेशी व्यापार तथा भुगतान की सुविधा
- ग्राहकों के लिये त्वरित तथा कठिनाई मुक्त सेवा प्रदान करना।

हमारे बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ/ सुविधाएँ:

- विदेशी मुद्रा की खरीद/बिक्री
- परेशान सुविधाएं

अन्य:

- सेवाओं के लिये सभी लागू दरें हमारी बैंक शाखाओं और हमारी बैंक की वेबसाइट www.kotak.com पर उपलब्ध है।
- लेनदेन के लिये बैंक द्वारा अनुरोधित सभी दस्तावेजों को RBI और FEMA द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- किसी भी असहमति या अधूरे दस्तावेज के मामले में, बैंक उसके परिहार/पूरा करने के लिये तुरंत सहायता करेगा।
- कमीशन या देय शुल्क के विवरण को तुरंत सूचित किया जाएगा।
- नियामक आवश्यकताओं या विदेशी मुद्रा से संबंधित बैंक द्वारा प्रस्तावित सेवाओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
- लेनदेन के दौरान होने वाली त्रुटि के संबंध में क्रेडिट देय तिथि से परे, बैंक की मुआवजा नीति के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

शिकायतों का निपटान

विदेशी मुद्रा से संबंधित शिकायतों को बैंक के द्वारा प्राप्त अन्य शिकायतों के समकक्ष व्यवहार किया जाता है। शिकायत दर्ज करने लिये निम्नलिखित माध्यम उपलब्ध है: शाखा ग्राहक संपर्क केंद्र, ईमेल, पत्र, वेबसाइट इत्यादि। शिकायत दर्ज करने के लिये पूरा विवरण शाखा में तथा ग्राहकों की सुविधा के लिये बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। शाखा प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक को भी इस प्रकार की सहायता के लिये संपर्क किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए आप शाखा प्रबन्धक से संपर्क कर सकते हैं।